न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2023/103

अपील संख्या – 49/23

1. जगमोहन पुत्र पांच्या जाति खारवाल(मृतक)
1/1. मुकेश
1/2. थान सिह पुत्रान स्व0जगमोहन
1/3. रीना पुत्री जगमोहन
1/4. मोत्या बेवा जगमोहन जातियान खारवाल निवासीयान उदईकलां तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
2. ग्राम पंचायत उदईकलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उदईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 44/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मोहम्मद इस्लाम
अभिभाषक रैस्पो0 1 व 3 पैरोकार सरकार

दिनांक 17.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.2.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया किया ग्राम उदईकलां मे भूमि साबिक ख0न0 2049 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा सिवायचक भूमि थी। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा होने के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि मे से 3 बीघा 9 विस्वा भूमि दौराने राजस्व अभियान अपीलार्थी के हक मे नियमन कर दी गई तथा बची हुई 14 विस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ते के लिए शेष सिवायचक सरकारी खाते मे रखी गई। नियमन का इन्द्राज आवंटन प्रोसिंडिग रजिस्टर मे भी दर्ज कर दिया गया तथा खातेदारी इन्द्राज वादी के हक मे कर दिये गये लेकिन दौराने सेटलमेंट वादी के हक मे नियमन की गई भूमि का नया नम्बर 1122 रकबा 0.93 है0 वादी के नाम दर्ज करने के बजाय सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा वाद मे उसे सिवायचक से आबादी के लिए सेट अपार्ट कर दी गई। अपी[illegible] जब इस तथ्य की जानकारी हुई तो उसने रिकार्ड रूम से रेवेन्यू रिकार्ड की नकल प्राप्त कर[illegible] अपीलार्थी को पता चला कि सेटलमेंट विभाग ने गलत मिलान क्षेत्रफल ख0न0 1122 को सिवायचक दर्ज कर दिया ग[illegible] जबकि साबिक ख0न0 2049 एवं हाल ख0न0 1122 को मिलान क्षेत्रफ[illegible] से मिलान करने पर [illegible] ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1122 साबिक ख0न0 2049 से बनना पाया गया है। साबिक ख0न0 2049 के उत्तर मे ख0न0 2077 हरिचरण पुत्र रामजीलाल की खातेदारी खेत है। जिसका हाल ख0न0 2021 है दक्षिण मे गत ख0न0 2045/1 इस्लाम मुसलमान का खेत है जिसका हाल ख0न0 1123 है पश्चिम मे गत ख0न0 2050 व 2048 है जिनके हाल ख0न0 1077 है तथा पूर्व मे गत ख0न0 2078 जिसके हाल ख0न0 1140 बना है इस सीमावर्ती खेतो के मध्य होने के कारण अपीलार्थी के गत ख0न0 2049 से नया ख0न0 1122 रकबा 0.93 है0 बना है लेकिन मिलान क्षैत्रफल मे हाल ख0न0 1122 को गत ख0न0 2079 रकबा 13 विस्वा से बनना दर्ज कर दिया है। 13 विस्वा से 93 ऐयर रकबा बन ही नही सकता है। क्योकि इसका रकबा 16 ऐयर ही बनता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हाल ख0न0 1122 गत ख0न0 2049 वाली भूमि ही है और भू प्रबंध विभाग ने हाल ख0न0 1122 को गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया है जबकि यह भूमि वादी की आवंटन शुदा भूमि है। इस प्रकार भूमि सिवायचक दर्ज हो जाने के कारण यह भूमि ग्राम पंचायत उदईकलां के पक्ष मे आबादी हेतु दिनांक 6.10.01 को सेटअपार्ट कर दी गई जबकि भूमि पर वादी का बदस्तुर कब्जा चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को धारा 80 सीपीसी एवं 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत दुरूस्ती इन्द्राज खातेदारी व भूमि के सेटअपार्ट आदेश को रद्दद्व करने के लिए नोटिस दिये जो उन्हे प्राप्त होने के उपरान्त एवं अवधि निकलने के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने पर दावा प्रस्तुत करना लाजमी आया। अतः दावा डिक्री इस प्रकार डिक्री किया जावे कि भूमि गत ख0न0 2049 तदनुसार हाल ख0न0 1122 ग्राम उदईकलां का वादी काबिज गैरखातेदार/खातेदार टीनेन्ट है। प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे ख0न0 1122 रकबा 93 ऐयर का आदेश बाबत भूमि आबादी हेतु सेट अपार्ट करने का आदेश दिनांक 6.10.2001 को निरस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को भूमि ख0न0 1122 को वादी की गेरखातेदारी/खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश दिये जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की भूमि ख0न0 1122 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे वादी को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र दिनांक 5.10.06 को खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा उसके विरूद्व अपील संख्या 241/06 न्यायालय हाजा मे पेश की गई। जिसका निर्णय दिनांक 19.11.06 को अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा पुनः दर्ज किया जाकर दावा वादी पुनः दिनांक 28.2.23 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की [illegible] का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 [illegible] बाबजूद तामिल उपस्थित नही हुए। बहस अपीलांट अधिवक्ता एवं पैरोकार [illegible] सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:34 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मात्र इस आधार पर खारिज किया है कि रेवेन्यू रिकार्ड मे अपीलार्थी के हक मे खातेदारी इन्द्राजात नही है तथा नामा0 संख्या 61 ऐ उक्त भूमि ग्राम पंचायत के नाम दिनांक 18.1.05 को सेट अपार्ट की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया कि खसरा गिरदावरी संम्वत 2031-34 प्रदर्श 6 मे ख0न0 2049 मे से 3 बीघा 2 विस्वा जगमोहन के हक मे अलोट की गई का नोट अंकित है। तथा प्रोसिडिग रजिस्टर प्रदर्श 12 दिनांक 3.6.76 मे 3 बीघा 9 विस्वा जगमोहन के हक मे नियमन की गई भूमि का इन्द्राज है। अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी से तलब की गई रिपोर्ट दिनांक 13.7.06 मे ख0न0 1122 पर अपीलार्थी जगमोहन का काफी पुराना कब्जा होना बताया है तथा खसरा परिवर्तनशीलो मे भी अपीलार्थी का कब्जा दर्ज है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का भूमि पर कब्जा ना होना मानकर दावा गलत रूप से खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि ग्राम पंचायत को हुए आवंटन के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष अपील पेश की थी लेकिन उप जिला कलेक्टर द्वारा उसे खारिज किये जाने पर उससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 286/2001 पेश की थी। जो दिनांक 20.6.02 को स्वीकार की जाकर उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को गुणावगुण पर निर्णित करने के लिए रिमाण्ड कर दी तथा अपीलार्थी का हक डिकलेरेट्री सूट मे ही निर्णित होना था लेकिन मातहत अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का निरीक्षण किये बिना ही दावा वादी गलत रूप से खारिज कर दिया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर दावा वादी डिक्री फरमाया जावे।

जबाब मे पैरोकार सरकार ने अवगत कराया कि अपीलांट का कथन सही है कि भूमि साबिक ख0न0 2049 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा सिवायचक भूमि थी। उक्त भूमि को अपीलार्थी का पुराना कब्जा होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि मे से 3 बीघा 9 विस्वा भूमि दौराने राजस्व अभियान अपीलार्थी के हक मे नियमन कर दी गई तथा बची हुई 14 विस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ते के लिए शेष सिवायचक सरकारी खाते मे रखी गई। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.7.06 के अनुसार विवादित आराजीयात ख0न0 1122 ग्राम उदईकलां की आबादी के नजदीक है मौके पर भूमि टीलेनुमा है। उक्त भूमि को ग्राम पंचायत उदईकलां की लिए सेट अपार्ट की जा चुकी है। जिसका नामा0 संख्या 61 के द्वारा ग्राम पंचायत उदई कलां के नाम अंकन हो चुका है। विवादित भूमि सिवायचक राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 6.1.2001 को भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सेट अपार्ट) की गई है। इस प्रकार वादी/अपीलांट का वाद पत्र राजस्व अभिलेख से सिद्व नही होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादा वादी विधि के अनुरूप ही खारिज किया गया है अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम उदईकलां के साबिक ख0न0 2049 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा सिवायचक भूमि मे से अपीलार्थी का पुराना कब्जा होने के कारण आवंटन

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजीयात मे से 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि राजस्व अभियान के दौरान नियमित कर दी गई थी तथा बची हुई भूमि मे से 14 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ते के लिए दर्ज की गई एवं शेष भूमि सरकारी खाते मे सिवायचक रही। दौराने सेटलमेंट वादी के हक मे नियमन की गई भूमि का नया नम्बर 1122 रकबा 0.93 है0कायम किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज नही कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट की इस कार्यवाही का वादी को पता चलने पर उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र दिनांक 5.10.06 को खारिज किये जाने पर वादी द्वारा उसके विरूद्व अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई जिस पर इस न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड कर दी गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादी का वाद पत्र यह अंकित करते हुए खारिज किया गया है कि वादी के पक्ष मे हुए नियमन का राजस्व अभिलेख मे अंकन नही है तथा साबिक ख0न0 2049 पूर्व मे सिवायचक रहा है। इसलिए ही भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन रिकार्ड मे ख0न0 1122 को सिवायचक दर्ज किया है। पत्रावली मे उपलब्ध सम्वत 2023,2028,2029,2030,2031,2033 व 2034 की पी 14 खसरा परिवर्तनशील की नकलो से वादी का उक्त आराजीयात मे 3 बीघा 18 बिस्वा पर कब्जा सिद्व होता है। इसी प्रकार पत्रावली मे उपलब्ध प्रोसिडिंग रजिस्टर प्रदर्श 12 दिनांक 3.6.76 मे 3 बीघा 9 बिस्वा अपीलार्थी जगमोहन के हक मे नियमन का इन्द्राज अंकित है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 1122 पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा सिद्व होता है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 3.6.76 को निमयन की गई है। जिसे सेटलमेंट द्वारा सिवाचयक दर्ज किया गया है जिसको दुरूस्त कराने का वादी को अधिकार प्राप्त है। जबकि उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा गलत रूप से उक्त नियमन शुदा भूमि को आबादी हेतु आरक्षित की गई है जो विधि विरूद्व है। उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 44/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.23 को अपास्त किया जाता है तथा वादी/अपीलांट के पक्ष मे नियमन की गई हाल आराजी ख0न0 1122 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा अर्थात 86 ऐयर ग्राम उदईकलां तहसील गंगापुर सिटी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त 86 ऐयर भूमि हाल ख0न0 1122 सिवायचक मे से हजफ की जाकर वादी/अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:34 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. जगमोहन पुत्र पांच्या जाति खारवाल(मृतक)
1/1. मुकेश
1/2. थान सिह पुत्रान स्व0जगमोहन
1/3. रीना पुत्री जगमोहन
1/4. मोत्या बेवा जगमोहन जातियान खारवाल निवासीयान उदईकलां तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
2. ग्राम पंचायत उदईकलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उदईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

अपील संख्या 49/23 विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.23 वाद पत्र घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा । यह अपील संख्या 49/23 व तारीख 17.3.25 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री मोहम्मद इस्लाम अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो0 की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। वादी/अपीलांट के पक्ष मे नियमन की गई हाल आराजी ख0न0 1122 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा अर्थात 86 ऐयर ग्राम उदईकलां तहसील गंगापुर सिटी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 17.3.25 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	---		[illegible]	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टाम्प [illegible]	---	---
इजराय हुक्मनामा	---		[illegible]	---	---
वकील फीस बावत	---		[illegible]	---	---

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:34 IST
Reason: SelfAttested